एसएन मार्केट पार्किंग 20 दिन तक मुफ्त

- पूरी तरह ऑटोमेटिक पार्किंग में पहुंचते ही स्कैन हो जाएगा कार का नंबर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: सरोजनी नगर मार्केट में अब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो गाड़ी की पार्किंग के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी। बृहस्पतिवार को मार्केट के समीप देश की पहली पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर आधारित पूर्णतया ऑटोमेटिक मल्टीलेवल पार्किंग का केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने उद्घाटन किया। शुक्रवार से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्किंग के लिए फिलहाल 30 नवंबर तक वाहन चालकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद एक दिसंबर से प्रति घंटे 10 रुपये पार्किंग शुल्क देना होगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा तैयार 8 मंजिला पार्किंग में वाहन चालक को अपनी गाड़ी बेसमेंट में ले जानी होगी। पार्किंग खिड़की पर पहुंचते ही कार का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कैन हो जाएगा। इसके बाद कार ऑपरेटर को सौंपनी होगी। कार सौंपने के दौरान ही ऑपरेटर वाहन मालिक को एक स्मार्ट कार्ड देगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि जल्द ही बाबा खड्गसिंह मार्ग पर निर्माणाधीन दूसरी ऑटोमेटिक मल्टीलेवल पार्किंग चालू हो जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आपत्ति के बाद वर्षों से कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही इस मामले को सुलझाने की बात भी कही।

सरोजनी नगर में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन करने के बाद ट्रायल देखते केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, विधायक करन सिंह तंवर व अन्य। जागरण

हाईटेक पार्किंग की खासियत

- आठ मंजिला पार्किंग
- भूतल व प्रथम तल पर खुलेंगे शोरूम
- पार्किंग क्षमता : 824 कार
- पार्किंग शुल्क : 10 रुपये प्रति घंटा
- खुलने का समय : 24 घंटे, सातों दिन
- पार्किंग में लगने वाला समय : 5-7 मिनट
- पार्किंग बनाने में खर्च : 80 करोड़ रुपये
- काम कब से शुरू हुआ : अक्टूबर 2009
- पार्किंग के लिए क्षेत्र : 58 हजार वर्गफुट

लोगों की राय

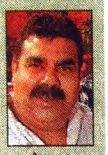

अशोक रंधावा

मार्केट एसोसिएशन के प्रेसीडेंट अशोक रंधावा कहते हैं अभी सरोजनी नगर मार्केट तथा आसपास के इलाके में एनडीएमसी ने पार्किंग के लिए जो जगह चिन्हित कर रखी है इनमें से कुछ स्थानों पर वर्तमान की तरह ही गाड़ियां पार्क करने की इजाजत होनी चाहिए। ताकि जो लोग छोटे-मोटे काम से मार्केट आते है, उन्हें परेशानी न हो। स्थानीय निवासी आरसी शर्मा कहते है कि इस मल्टीलेवल पार्किंग के चालू होने के बाद निश्चित रूप से मार्केट के आसपास क कॉलोनी में रहने वाले लोगो को राहत मिलेगी।

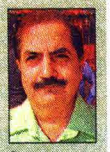

विजय बधवा

अभी शनिवार, रविवार या छुट्टी के अन्य दिनों में सरोजनी नगर मार्केट आने वाले लोगो के घरों के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर खरीददारी करने चले जाते हैं। अब शायद ऐसा नहीं हो। वहीं दुकानदार विजय वाधवा तथा ओमदत्त शर्मा का कहना है कि इस मल्टीलेवल पार्किंग में दुकानदारों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए रियायती दर पर मासिक पास मिलना चाहिए।

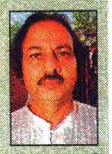

ओमदत्त शर्मा

खेलगांव फ्लैट विवाद का निकल सकता है समाधान

- शहरी विकास मंत्री ने कहा, सभी पक्षों से बातचीत कर ही कोई फैसला लिया जाएगा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: राष्ट्रमंडल खेलगांव के फ्लैटों को लेकर डीडीए व बिल्डर कंपनी एम्मार एमजीएफ के बीच तनातनी है। डीडीए ने खेलगांव के 65 फ्लैट सील कर दिए हैं। इससे पहले 17 फ्लैट तोड़े जा चुके हैं। इस बीच शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि खेलगांव में में जो भी फ्लैट जुर्माना लगाकर नियमित किए जा सकते हैं वह किए जाएंगे। लेकिन कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो इस सीमा से बाहर हैं। इसलिए इस मामले पर सभी पक्षों से बातचीत कर ही कोई फैसला लिया जाएगा।

इससे साफ जाहिर है कि खेलगांव मामले पर शहरी विकास मंत्रालय नरम है और पूरे विवाद का हल निकालने के पक्ष में है। खेलगांव में अत्यधिक बढ़ाए गए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) मामले की फाइल डीडीए कुछ माह पहले शहरी विकास मंत्रालय भेज चुका है। खेलगांव में निर्धारित से इतना अधिक एफएआर बढ़ चुका है कि पूरे के पूरे 65 फ्लैट अधिक बन गए। इसी के चलते डीडीए ने 31 अक्टूबर को इन 65 फ्लैटों को सील कर दिया था। जिसमें से आठ फ्लैट डी-सील किए जाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मगर आदेश की प्रति अभी डीडीए को नहीं मिल सकी है। जिससे ये फ्लैट डी-सील नहीं हो सके हैं।

मंत्री के बयान से डीडीए में खलबली

नई दिल्ली, जासं: मास्टर प्लान-2021 पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की टिप्पणी से डीडीए में नाराजगी है। डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि मास्टर प्लान बेशक कमरों में बैठकर नहीं बन सकता। मगर उसे लागू करना या न करना सरकार के हाथ में है। यदि उसे लागू नहीं किया जाता तो सब बेकार है। डीडीए के योजना विभाग के सूत्रों का कहना है कि मास्टर प्लान-2021 की 5-5 साल बाद समीक्षा किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। जिसे 18 माह में पूरा किया जाना है। समीक्षा का काम किस स्थिति में है, इसे जानने के लिए उपराज्यपाल कुछ दिन पहले ही डीडीए अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। उनका कहना है कि मास्टर प्लान बनाने में दिल्ली के विकास से जुड़े या जुड़े रहे विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और इसके बाद निकले निष्कर्ष के आधार पर आगे की योजना तय की जाती है। फिर जोनल प्लान बनता है, बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी में मामला जाता है। इस सब के बाद जनता की राय ली जाती है। जनता की राय को शामिल किया जाता है। इसके बाद जोनल प्लान का काम पूरा किया जाता है। फिर मास्टर प्लान बनता है। इस पर भी कोई बात रह जाए तो समीक्षा का प्रावधान किया गया है।

टाउन प्लानर आरजी गुप्ता कहते हैं कि मास्टर प्लान-2021, सात फरवरी 2007 को लाया गया। मगर यह दुर्भाग्य है तब से लेकर आज तक इसे लागू करने में केंद्र सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें दिल्ली में आवासीय जरूरत को पूरा करने, लैंड पॉलिसी, फार्म हाउस पॉलिसी, पार्किंग, सड़क, बाजार आदि को सुनियोजित करने के जो प्रावधान दिए गए हैं इसके तहत काम शुरू हो गया होता तो आज किसी तरह की परेशानी ही नहीं होती।